



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश संख्या-08/स्था०-24-13/2025.....

पटना, दिनांक-.....

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25% बच्चों के नामांकन एवं उक्त के एवज में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को DBT के माध्यम से प्रतिपूर्ति की राशि का अंतरण का क्रियान्वयन।

Gyandeeep Portal
(<https://gyandeeep-rte.bihar.gov.in>)

उद्देश्य:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25% बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराना एवं उक्त के एवज में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को DBT के माध्यम से प्रतिपूर्ति की राशि का अंतरित कराना।

विस्तार एवं प्रारंभ:-

1. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषा:-

1. अधिनियम से अभिप्रेत है, बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009;
2. नियमावली से अभिप्रेत है, बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011;
3. 'अध्याय', 'धारा' एवं 'अनुसूची' से क्रमशः अभिप्रेत है, अधिनियम का अध्याय, धारा एवं अनुसूची;
4. 'बच्चा' से अभिप्रेत है, 6-14 आयु वर्ग का कोई बच्चा;
5. "शैक्षिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार;
6. "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 5 तक का विद्यालय;
7. "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक का विद्यालय;
8. "प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;
9. "जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;
10. "जिला शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;
11. "माता-पिता" से अभिप्रेत है, वे माता-पिता जिनके बच्चा/बच्चे विद्यालय में नामांकित हो;
12. 'अभिभावक' से अभिप्रेत है, सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित "वैधानिक अभिभावक";
13. किसी विद्यालय के संदर्भ में 'पड़ोस' से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित वह क्षेत्र जहाँ का बच्चा इस नियमावली के अधीन संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए हकदार है;
14. "पोषक क्षेत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित वह क्षेत्र जो विद्यालय हेतु रेखांकित किया गया है।
15. "अलाभकारी समूह" के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रूपये तक हो।
16. "कमजोर वर्ग" के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियाँ/समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रूपये से कम हो।

✓

प्राधिकार:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा;
2. जिला शिक्षा पदाधिकारी;
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान);
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।

संक्षिप्त नाम की परिभाषा (Abbreviation):-

RTE Act- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
BEO- प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी
DPO(SSA)- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा अभियान)
DEO- जिला शिक्षा पदाधिकारी

भूमिका एवं जिम्मेदारी:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25% बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराना एवं उक्त के एवज में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को DBT के माध्यम से राशि की प्रतिपूर्ति की राशि अंतरित कराना।

2. जिला शिक्षा कार्यालय की जिम्मेदारी-

ऑनलाईन नामांकन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराना:-

- (i) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से विद्यालय का Intake Capacity एवं वर्ग-1 में नामांकन की स्थिति को update कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) आवेदन के निर्धारित समय-सीमा के अनुसार बच्चों के आवेदन हेतु सभी माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (iii) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जाँच के पश्चात् Randomization हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) कार्यालय द्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से सम्पन्न कराना।
 - (iv) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदक के आवेदन का सत्यापन, आवेदन की लंबित स्थिति तथा जिला स्तरीय क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेंगे।
 - (v) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिला लॉगिन के माध्यम से जिला स्तरीय क्रियान्वयन की स्थिति देख सकेंगे।
 - (vi) Randomization के माध्यम से ऑनलाईन विद्यालय आवंटित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराना।
 - (vii) उक्त के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन करना।
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी- ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों/अभिलेखों की जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ Randomization हेतु जिला कार्यालय के लॉगिन में अग्रसारित करेंगे।
5. विद्यालय की जिम्मेदारियाँ-
- (i) संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय दिये गए समय-सीमा के अंदर Intake Capacity एवं वर्ग-1 में नामांकन की स्थिति को update करेंगे एवं यदि कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करेंगे।
 - (ii) संबंधित निजी विद्यालय के प्राचार्य ऑनलाईन विद्यालय आवंटित छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे और उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
 - (iii) संबंधित विद्यालय द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से सत्यापित एवं ऑनलाईन आवंटित छात्रों का नामांकन लेने से इन्कार नहीं किया जाएगा।
 - (iv) संबंधित विद्यालय के प्राचार्य नामांकन हेतु आवंटित छात्रों/अभिभावक से दूरभाष या अन्य माध्यमों से सम्पर्क स्थापित कर नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।

- (vi) यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो संबंधित विद्यालय के प्राचार्य उसे पोर्टल पर अपडेट (update) करेंगे।
- (vii) विद्यालय RTE 12(1)(c) के तहत नामांकित बच्चों के साथ किसी तरह का भेद-भाव नहीं करेगा।

6. माता-पिता/अभिभावक- बिहार सरकार द्वारा विज्ञापित समय-सारणी के आलोक में Gyandeep Portal (<https://gyandeep-rte.bihar.gov.in>) पर ऑनलाईन आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ अपलोड करेंगे। Randomization के पश्चात् बच्चों का नामांकन संबंधित निजी विद्यालय में करायेंगे।

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के प्रयोजनार्थ कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन का प्रावधान बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम-7 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :-

- (1) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बच्चे जो धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत उनके विद्यालय में नामांकित हुए हैं, उन्हें अन्य बच्चों से कक्षाओं में भेद-भाव या अलग-थलग नहीं किया जाए, न ही उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या अन्य समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हो, आयोजित किए जाएँ।
- (2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत संदर्भित विद्यालय, उन बच्चों के साथ जो अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में विद्यालय में नामांकित हुए हों, उन्हें खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण की सुविधा, पुस्तकालय, पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि सुविधाएँ जिसे प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, के संबंध में सामान्य बच्चों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।
- (3) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा, नियम 4 के उपनियम (1) के अनुरूप प्रयोग में लायी जाएगी।

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के लिए आवश्यक प्रतिशत को भरने के लिए विद्यालय, पड़ोस की सीमाओं को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् बढ़ा सकता है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम-8 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :-

- (1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधिग हित, नियंत्रित अथवा प्राधिकारों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर किए जा रहे कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे वह राज्य सरकार अपनी निधि से या केन्द्र सरकार की निधि से या किसी अन्य प्राधिकार की निधि से व्यय करती है, उस राशि को सभी बच्चे, जो उन विद्यालयों में नामांकित होंगे, उनसे भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति बच्चा व्यय माना जाएगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। विद्यालय को राशि का भुगतान प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से चेक के द्वारा की जायगी।

व्याख्या:-

- (1) प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (1) की उपकंडिका (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जायगा।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उम्र-प्रमाण के लिए दस्तावेज का प्रावधान बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :-

- जहाँ जन्म, मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम 1886 के अंतर्गत जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के लिए जन्म का प्रमाण माना जाएगा :-
 - (क) अस्पताज/ऑकजीलियरी नर्स या मिड वाईफ पंजी अभिलेख;
 - (ख) आँगनबाडी अभिलेख; एवं
 - (ग) बच्चे के अभिभावक या माता-पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा-पत्र।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 15 के प्रयोजनार्थ नामांकन के लिए विस्तारित अवधि का प्रावधान बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम-10 के प्रावधानों के तहत निम्नवत् है :-


- (1) नामांकन की विस्तारित अवधि विद्यालयों के शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के छः माह तक की होगी।
- (2) विस्तारित अवधि के पश्चात् अगर कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होता है तो विशेष प्रशिक्षण के द्वारा अपने अध्ययन को पूर्ण करने का पात्र होगा जैसा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

प्रक्रिया:—

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25% बच्चों का प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से शैक्षणिक सत्र 2024–25 से केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली “ज्ञानदीप पोर्टल” अपनायी गयी है, जिसके माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति के साथ उसका सत्यापन, Randomization के माध्यम से विद्यालय आवंटन, ऑनलाईन नामांकन एवं संबंधित सूचना पोर्टल पर अपलोड करना, शिकायतों का निवारण करना एवं DBT के माध्यम से प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान की प्रक्रिया अपनायी जाती है।

प्रवेश प्रक्रिया:-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया का Flow Chart निम्नवत् है-



ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु दिशा-निर्देश निम्नलिखित है:-

(1) पात्रता मानदंड :-

1. अलाभकारी समूह :-

अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रुपये तक हो।

2. कमजोर वर्ग :-

कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियाँ/समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से कम हो।

3. आयु की सीमा :-

01 अप्रैल तक 6+ वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।

(2) आवश्यक दस्तावेज :-

1. जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनवाड़ी अभिलेख/बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र।
2. जाति प्रमाण-पत्र
3. आय प्रमाण-पत्र
4. निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate)/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल।
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
5. माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात् बच्चे का आधार कार्ड)
6. बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।
7. माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर
8. बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (Size 50 kb)

(3) आवेदन प्रक्रिया :-

1. ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
2. आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा। परन्तु विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार को पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।)
3. पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका USER ID उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
4. इस USER ID के द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् बच्चे के माता-पिता या अभिभावक नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।

(4) विद्यालय चयन प्रक्रिया :-

1. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद आवेदक स्कूल का चयन करने के लिए विकल्प पर जाएँगे।
2. आवेदन करने वाले माता-पिता/ अभिभावक या बच्चे अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों का विकल्प देख सकेंगे। साथ ही आवेदक द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
3. ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पाँच विद्यालय का चयन करेंगे।
4. चयनित स्कूल से 01 कि.मी. के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 01 से 03 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। 03 से 06 कि.मी. के बीच रहने वाले छात्रों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। यदि सीटें उपलब्ध रहती हैं, तो उस विशेष प्रखंड में रहने वाले अन्य छात्रों को मौका दिया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक दूरी का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि बच्चे के निवास स्थान से स्कूल की सही दूरी को यथा संभव सटीकता से चुने। इस दूरी की पुष्टि ऑनलाइन आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा की

जायेगी। प्रवेश केवल सफल सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप से दिया जायेगा। आवेदकों द्वारा किसी भी प्रकार की गलत घोषणा के कारण आवेदन किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है।

(5) प्रखंड शिक्षा कार्यालय स्तर पर सत्यापन :-

1. आवेदक सभी दस्तावेजों की छायाप्रति (ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी) संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ विद्यालय अवर निरीक्षक के पास सत्यापन हेतु दिए गए समय सारणी के आलोक में जमा करेंगे।
2. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक लॉगिन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदित छात्रों की सूची देख सकेंगे। आवेदित छात्रों के निवास स्थान एवं विकल्प में दिए गए विद्यालयों के बीच की दूरी का सत्यापन करेंगे।
3. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, आवेदक के द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज की अंतिम रूप से जांच कर सत्यापित सही आवेदन को Randomization किये जाने हेतु सहमति देंगे।
4. संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, Randomization के पश्चात् बच्चों के विद्यालय प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे।
5. आवेदन को निम्न कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है :-
 - i. दस्तावेज संबंधित अनियमितता
 - ii. पात्रता न होना,
 - iii. एक ही दस्तावेज के साथ पुनः आवेदन,

(6) ऑनलाईन सीट आवंटन :-

1. विद्यालय आवंटन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2. विकलांग बच्चों (CWSN) के लिए 5% सीटें आरक्षित होंगी।
3. विद्यालय के आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक द्वारा आवेदन की जाँच के पश्चात् Randomization हेतु सहमति प्राप्त आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) कार्यालयद्वारा विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।


(7) चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश :-

1. विद्यालय आवंटित छात्रों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर संबंधित विद्यालय द्वारा नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। विद्यालय का दायित्व होगा कि सभी दस्तावेजों का मिलान ऑनलाईन किये गए आवेदन से कर बच्चों को प्रवेश देंगे।
2. विद्यालय आवंटित छात्रों/अभिभावक के साथ विद्यालय किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं करेंगे।

प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति प्रक्रिया:-

इस पोर्टल के माध्यम से कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25% बच्चों का नामांकन प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में लिया जाना है एवं इसके एवज में संबंधित विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की राशि DBT के माध्यम से अंतरित की जाती है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का Flow Chart निम्नवत् है-



ज्ञानदीप पोर्टल पर प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया के चरण :-

चरण 1: <https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/admin> पर जाएं।

स्कूल का चयन करें और क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।



Department School

Welcome to
School Admin Portal
Enter Your Data to login as School

Enter Your code
Code


Enter Password
Password

I'm not a robot 

Login


[Back to Homepage!](#)
[Forgot Password? Reset](#)

चरण 2: "लॉगिन टू पेमेंट" चुनें। यह आपको ज्ञानदीप भुगतान पोर्टल पर पुनर्निर्देशित करेगा।




The screenshot shows the top navigation bar of the Gyandeep portal. It includes a logo on the left, followed by tabs for 'Dashboard', 'Student 25-26', 'School Intake Capacity', and 'Student 24-25'. On the right side, there are buttons for 'Login to Payment' and 'Logout'. Below the navigation bar, there is a 'Dashboard' heading and a search bar with the label 'SCHOOL NAME' and input fields for 'Address', 'Email', and 'Phone'.

चरण 3: रिन्यूअल स्टूडेंट चुनें। फिर रिन्यूअल एंट्री पर क्लिक करें।



The screenshot shows the main menu of the Gyandeep portal. The header includes the Gyandeep logo and the NIC National Informatics Centre logo. The navigation menu has options for 'Home', 'Entry', 'Update Students', 'Renewal Student', 'Application Status', 'Report', and 'Bank Details'. The 'Renewal Student' option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'Renewal Entry' and 'Reset Renewal' options. The 'Renewal Entry' option is also highlighted. The user is logged in as 'Welcome : RTE000'.

चरण 4: कृपया पिछला सत्र और पिछली कक्षा चुनें, फिर खोज पर चयन करें।



The screenshot shows the 'Student Details' form. It has two dropdown menus: 'Previous Session' with the value '2023-2024' and 'Previous Class' with the value 'Class 1'. There is a green 'Search' button to the right of the dropdowns. The header of the page shows the Gyandeep logo and the NIC National Informatics Centre logo. The navigation menu is the same as in the previous screenshot, and the user is logged in as 'Welcome : RTE000'.

चरण 5: नए शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्र विवरण अपडेट करें। स्थिति, सत्र, कक्षा, सेक्शन चुनें, छात्र का रोल नंबर दर्ज करें, छात्र का प्रदर्शन चुनें, उत्तीर्ण/पदोन्नत स्थिति चुनें। फाइल चुनें पर क्लिक करें और सहायक दस्तावेज अपलोड करें। फिर अपडेट पर क्लिक करें।

Student Details


Previous Session * 2023-2024 Previous Class * Class I Search

क्र. सं.	पुस्तक शैक्षणिक वर्ष	शैक्षणिक सत्र/पूरा सत्र/निर्यात	छात्र/छात्र का विवरण	नया शैक्षणिक सत्र का विवरण
1	2023-2024	शैक्षणिक सत्र 2023-2024 जिला	प्रवेश संख्या- [REDACTED] प्रवेश तिथि- [REDACTED] छात्र/छात्रा का नाम- [REDACTED] पता- [REDACTED] जन्म तिथि- [REDACTED] नाल का नाम- [REDACTED] पिता का नाम/ अध्यापक का नाम- [REDACTED] मोबाइल नंबर- [REDACTED] कर्मी का नाम- [REDACTED]	Status * Genrual Session * 2024-2025 Class * A Section * Roll No. * Performance Of Student * Very Good Upload Document * Choose file No file chosen Update

2020-2021 हेतु नवीनीकरण की स्थिति - YES
 2021-2022 हेतु नवीनीकरण की स्थिति - YES
 2022-2023 हेतु नवीनीकरण की स्थिति - YES
 2023-2024 हेतु नवीनीकरण की स्थिति - YES
 2024-2025 हेतु नवीनीकरण की स्थिति - No

नोट: अगले शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण/पदोन्नत होने वाले प्रत्येक छात्र का विवरण भरें और उसे अपडेट करें। छात्रों के नवीनीकरण की पुष्टि करने और जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए जिला द्वारा विस्तृत चरण:

चरण 1: <http://gyandeep.bihar.gov.in/> पर जाएं



चरण 2: जिला क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।

Hebharsh@gmail.com | 08047092625 | Screen Reader | Shortcuts Keys | T1 : A+ | A | A- | English | 163


GYANDEEP

NIC National Informatics Centre

Home About Us School Report Official Login Grievance Section Contact Us Login

District/ Department Login



XXXX

.....

DTE 4

0784

Login

चरण 3: भुगतान रिपोर्ट चुनें ।

Hebharsh@gmail.com | Home Page | Screen Reader | Shortcuts Keys | Text Size : A+ | A | A- | 163


GYANDEEP

NIC National Informatics Centre

Home Old Student Report Welcome Logout

Dashboard

1. District Wise School and Student Summary Report
2. Student Consolidated Report
3. Pending By District(Student Details) Report
4. Session Wise Report
5. Payment Reports

चरण 4: ब्लॉक, स्कूल का नाम और सत्र चुनें और फिर खोज पर क्लिक करें ।

Hebharsh@gmail.com | Home Page | Screen Reader | Shortcuts Keys | Text Size : A+ | A | A- | 163


GYANDEEP

NIC National Informatics Centre

Home Old Student Report Welcome Logout

Payment Reports

District: Block: School Name: Session:

Search

2

चरण 5: एक्शन कॉलम के अंतर्गत अपडेट बटन पर क्लिक करें।

Renewal 2021	Renewal 2021-22	Renewal 2022-23	Renewal 2023-24	Renewal Resat	Total Cost Student Insurance	Total Cost Student Department	Total Approved Seat	Class RTE Intake	Admission Approved	Tuition Fee	Uniform Fee	Book Fee	Total Cost Per Child	Amount	Verification Done (Yes = 1 or No = 0)	Document	Action	
Y	Y	Y	Y			1480	82	25	86								View File	Update

चरण 6: अगले शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण या पदोन्नत हुए छात्रों को शामिल करने के लिए भुगतान विवरण अपडेट करें। नवीनीकरण सहित प्रत्येक छात्र के लिए कुल राशि की गणना करें। एक्सेल फाइल में निर्यात करें डाउनलोड करें और नवीनीकरण स्थिति कॉलम के साथ मूल विवरण के साथ इसे जिला-स्तरीय समिति को जमा करें।

समिति के पाँच सदस्यों द्वारा स्वीकृत राशि दिखाते हुए कार्यवाही और कार्यवृत्त की स्कैन और हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें।

विवरण जमा करने के बाद, इसे लॉक कर दिया जाएगा और इसे फिर से संपादित नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, विवरण सावधानीपूर्वक भरें। अपलोड किया गया दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, और पीडीएफ फाइल पर कोई निशान नहीं होना चाहिए।

Update Payment Details

Amount: _____

Verification Done:

Yes

No

Document Upload:

2

ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से चालान सत्यापित करने के लिए राज्य (डीपीई) द्वारा विस्तृत चरण नीचे दिए गए हैं:

Step 1	http://gyandeep.bihar.gov.in/ पर जाएँ ।
Step 2	विभाग चुनें, लॉगिन करें और क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
Step 3	भूगतान रिपोर्ट चुनें ।
Step 4	जिला, ब्लॉक, स्कूल का नाम और सत्र चुनें। 'खोज' पर क्लिक करें।
Step 5	जिला द्वारा अपलोड की गई स्वीकृत भूगतान रिपोर्ट डाउनलोड करें ।
Step 6	रिपोर्ट सत्यापित करें और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुमोदन के लिए डेटा बनाएँ।
Step 7	गलत रिपोर्ट अपलोड होने की स्थिति में, रीसेट बटन पर क्लिक करें और जिले को सही रिपोर्ट फिर से अपलोड करने दें।
Step 8	प्राथमिक शिक्षा निदेशक से अनुमोदन के बाद, डेटा NIC को अद्येधित करें।
Step 9	NIC बैंक विवरण सत्यापित करें।
Step 10	NIC सत्यापित डेटा के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अनुमोदन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करें।
Step 11	NIC अनुमोदन के लिए फाइल को DDO लॉगिन पर अद्येधित करें।
Step 12	NIC PFMS के माध्यम से भूगतान की प्रक्रिया करें।

६०/-
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक-08/स्था० 24-13/2025 -28

पटना/दिनांक.....07.01.2026

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार/ सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार/ आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा